संख्या:116/2016/478/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीता□र।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 31 मार्च,2016

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उ□र्युक्त विषय □र मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन□द सीता□र में ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित 174 ग्रामों के कार्यों की शासनादेश संख्या-589/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 द्वारा लागत रू. 1059.38 लाख □र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रू. 529.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी के □त्र संख्या: 108/त्वरित आर्थिक विकास योजना-2012 दिनांक 16 फरवरी,2016 द्वारा उ□लब्ध कराई गई सूचना के अनुसार स्वीकृत 174 ग्रामों में से 52 ग्रामों के कार्य अन्य योजनाओं में □र्ण कराये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:115/2016/477/35-4-2016 दिनांक 31 मार्च,2016 द्वारा 52 ग्रामों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुये शेष 122 ग्रामों के कार्यों की लागत रू. 841.02 लाख □र □नरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी के उक्त सन्दर्भित □त्र दिनांक 16 फरवरी,2016 द्वारा □र्व में अवमुक्त धनराशि का □र्ण उ□योग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा 122 ग्रामों के कार्यों की अनुमोदित □नरीक्षित लागत रू. 841.02 लाख के सा□क्ष □र्व में अवमुक्त धनराशि रू.529.69 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष रू. 311.33 लाख (रू□ये तीन करोड़ ग्यारह लाख तैंतीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आ□के निवर्तन □र रखे जाने की, श्री राज्य□ाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2013 तथा शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2016 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित □नरीक्षित लागत के सा□क्ष धनराशि का आवंटन हो गया है। कार्य को मानकों के अनुरू□ □र्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही □र्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- स्वीकृत धनराशि का उ□योग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक □र्ण रू□ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से □र्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का □रा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- □रियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / □ाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उ□लब्ध करायी जायेगी।

http://upsdes.up.nic.in

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार □र मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के □श्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सा□क्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्या□ित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य □ूर्ण होने □र कार्यदायी संस्था द्वारा सम□रीक्षित लेखे अनिवार्य रू□ से उ□लब्ध कराये जायेंगे।

2- उ□र्युक्त मद □र होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4801-बिजली □रियोजनाओं □र □ूंजीगत □रिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-विद्युतीकरण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा□ संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:116/2016/478(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलि□ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा□रीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण□लायुक्त, लखनऊ।
7- मुख्य विकास अधिकारी, सीता□ुर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 □ावर कार□ोरेशन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युतवितरण निगम लि0।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीता□ुर।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीता□ुर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://sitapur.nic.in